राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.11(9)नविवि/2020 पार्ट–1 –02904 **जयपुर, दिनांकः– यथा हस्ताक्षरित**

–:आदेशः–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न भवनों जिनमें स्वतंत्र इकाई का विकासकर्ता द्वारा बेचान कर दिया गया है, में लीज रेन्ट वसूल किये जाने में संबंधित नगरीय निकाय को कठिनाई होती है। ऐसे प्रकरणों में पट्टा विलेख संबंधित विकासकर्ता के नाम होता है, परन्तु समस्त स्वतंत्र इकाईयों का बेचान किया जाकर विकासकर्ता द्वारा कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाकर इकाईयां का कब्जा सुपुर्द कर दिया जाता है। जिससे विकासकर्ता द्वारा किये गये बेचान के दृष्टिगत ऐसे भवनों हेतु लम्बित लीज रेन्ट की राशि जमा नहीं करवाई जाती है। अतः लीज रेन्ट वसूल किये जाने के संबध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. **नवीन अनुमोदित किये जाने वाले भवन मानचित्रों के संबंध मेंः–** समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास,/नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले ऐसे भवन जिनमें रेरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अथवा विकासकर्ता द्वारा स्वतंत्र आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य इकाईयों का बेचान किया जाना प्रस्तावित है, के भवन मानचित्र सक्षम स्तर से अनुमोदन स्वीकृति के उपरांत भवन मानचित्र जारी करने से पूर्व आवश्यक रूप से संबंधित विकासकर्ता से भूखण्ड हेतु एकमुश्त लीज राशि जमा कराई जावे अथवा फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जावे। इसकी सुनिश्चितता उपरान्त ही ऐसे भवनों के भवन मानचित्र जारी किये जावे।
2. **पूर्व के अनुमोदित भवन मानचित्र जिनमें लीज राशि लम्बित हैः–** समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित किये गये ऐसे भवन जिनमें रेरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अथवा विकासकर्ता द्वारा स्वतंत्र आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य इकाईयों का बेचान किया गया है, परन्तु कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में आवश्यक रूप से संबंधित विकासकर्ता से भूखण्ड हेतु एकमुश्त लीज राशि जमा कराई जाने अथवा फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता उपरान्त ही कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.05.09 02:21:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15187134

जिन भवनों में कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है अथवा कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किये बिना ही विकासकर्ता द्वारा कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है, उनमें संबंधित विकासकर्ता को छः माह की अवधि में भूखण्ड संबंधित विकास समिति को हस्तान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक रूप से समस्त नगरीय निकायों द्वारा निर्देशित किया जावे तथा संबंधित विकास समिति को भूखण्ड हस्तान्तरित करने के उपरान्त लीज राशि संबंधित विकास समिति से वसूल की जावे अन्यथा लीज राशि जमा कराये जाने का दायित्व संबंधित विकासकर्ता का ही होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त––––––––––––––––––––––––।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.05.09 02:21:09 IST
Reason: Approved

प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 15187134